<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

<u>फा. सं. 6/26/2026– डीजीटीआर</u>

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक: 19 अगस्त, 2026

<u>शुद्धिपत्र अधिसूचना</u>

(मामला सं. एडी (ओआई) 24/2026)

(सेतु मामला आई.डी.एडी/ ओआई /028/2026)

–

विषय: चीन जनवादी गणराज्य, जापान और रूस से उत्पन्न या वहां से निर्यातित "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

संख्या 6/26/2026-DGTR: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत पाटनरोधी जांच के संबंध में दिनांक 25 जून, 2026 को फा. सं. 6/26/2026-DGTR के माध्यम से आरंभिक अधिसूचना जारी की थी।

विषयगत आरंभिक अधिसूचना के पैरा 23 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

> ***23.*** *घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह स्थापित करते हैं कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि क्षति जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में मांग के सापेक्ष वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती कर रही थीं तथा इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव और गिरावट आई है। बिक्री में वृद्धि के बावजूद*

घरेलू उद्योग के औसत भंडार में वृद्धि हुई है। यह भी दावा किया गया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसमें निवेश पर प्रतिफल में कमी भी शामिल है।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 19-08-2026
10:39:23